उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः /कौ0वि0मि0/2022–23/का.आ./1656

दिनांक : 20 मई, 2022

कार्यालयादेश

विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशिक्षण प्रारंभ न करने, उच्चाधिकारियों द्वारा प्रगति समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों में भाग न लेने तथा परिणामस्वरूप जनपद की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के विषयों पर अनेक जनपदों के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला समन्वयक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के स्तर से शिकायते प्राप्त हुई हैं।

प्रशिक्षण प्रदाताओं की उक्त उदासीनता व कार्य में रूचि न लिये जाने के दृष्टिगत प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ निष्पादित अनुबंध के साथ संलग्न Article-1 (General Conditions of the Contract) के प्रस्तर–4 (Performance Guarantee, Penalty and Liquidity, Damages) के उपप्रस्तर 4.2 Forfeiture of PG (b) के प्राविधान प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

4.2 Forfeiture of PG: PG shall be forfeited in the following cases unless decided otherwise by UPSDM:-

(b) District wise forfeiture of PG:

i. Failure to start training at 100% of the targeted centres within **90** working days of signing of the Agreement: In case a TP fails to start training (opening of all proposed centres and starting of batches in all centres) in any district, the PG for that district shall be forfeited.

ii. Failure to start of Training in 100% of the sectors allotted within 90 working days of signing of the Agreement: In case a TP fails to start training in all the sectors (allotted in the district), then the PG for that district shall be forfeited.

अतः ऐसे समस्त प्रकरणों में, जहाँ प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा लक्ष्य आवंटन के पश्चात् उपर्युक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है, से सम्बन्धित जनपद/जनपदों हेतु जमा की गयी, परफारमेंस बैंक गारण्टी की धनराशि रू0 2.00 लाख (प्रति जनपद) एतद् द्वारा जब्त (forfeit) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाताओं की संदर्भित जनपद परफारमेंस बैंक गारण्टी जब्त करने के विषय में अनुबंध के प्राविधानों के अनुसार 1 सप्ताह की नोटिस तत्काल जारी कर दी जाये।

2. इसके अतिरिक्त इन डिफाल्टर प्रशिक्षण प्रदाताओं को भविष्य में उन जनपदों में कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किये जायेंगें, जिनमें उन्हें अंसतोषजनक व शिथिल कार्य प्रणाली के लिए दण्डित किये जाने व उनकी बीजी जब्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(आन्द्रा वामसी)
मिशन निदेशक

संख्याः 526/कौ0वि0मि0/2022–23/का.आ./1656 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
6. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता, अनुबंधित, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
7. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
8. सहायक निदेशक, आई0टी0 को पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
मिशन निदेशक